

[Shri H. V. Patskar.]

I would again express my thanks for the way in which this Bill in spite of differences has been received and considered. It has been very thoroughly discussed in this House. Every point of view was considered. Of course, there are differences; for instance, I am unable to understand the difficulty of my friend, Dr. Mitra. I do not see what connection there is between the Suppression of Immoral Traffic Bill and this. That Bill can be discussed later on and the hon. Member will have an opportunity then. He seems to be under the impression that a person will adopt and use that adoption for immoral purposes.

DR. P. C. MITRA: No, not for immoral purpose. What I said was that a public woman will take advantage of this when she is arrested.

SHRI H. V. PATASKAR: I do not think so. Anyway, that Bill is yet to come and his suggestions will be duly considered then.

I thank the Members for the way in which they have accorded their consent to this measure.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI-MATI SHARDA BHARGAVA): The question is :

“That the Bill, as amended, be passed.”

The motion was adopted.

THE ABDUCTED PERSONS (RECOVERY AND RESTORATION) CONTINUANCE BILL, 1956

THE MINISTER FOR WORKS, HOUSING AND SUPPLY (SARDAR SWARAN SINGH): Madam, I beg to move :

“That the Bill to continue the Abducted Persons (Recovery and Restoration) Act, 1949, for a further period, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration.”

This Act under which the recoveries take place and the recovered persons are brought to neutral camps and permitted to meet their relatives—and whatever decision is taken is taken in accordance with their wishes—is due to expire on the 30th November this year, that is, tomorrow. By this measure, it is sought to extend the life of this Act for one year more. There are two reasons for this step : One, the work that is being done of recovery and restoration in accordance with the wishes of the person recovered has not yet been finished. A Commission had been appointed in which both the countries of India and Pakistan were represented to examine the volume of work that still remains undone and to suggest means for expediting that work. The Commission have carried on certain investigations; two officers were appointed to assist that Commission. They have collected certain material but the Commission as such has not yet put in any report. The representatives of the Government of India and the Government of Pakistan discussed this question in July last and came to the conclusion that the work should be continued and that the Commission should be asked to submit their report. That report has not yet been submitted. The work is, therefore, yet to be carried on. I am aware of the feeling that exists in the country and also among certain sections of Parliament that this work has been going on for a very long time and that the time has now arrived when we should finish that work. There is considerable force in that argument; on the other hand, it has to be remembered that the way that provisions of this enactment are being worked does not put anyone to any disadvantage and the person recovered, after recovery, is actually free to decide about his or her future. The will and the wish expressed by that person is the criterion for a decision as to what should be done. I have circularised a small brochure which gives certain facts and statistics indicating the manner in which the recovery organisation has functioned. I would draw the attention

of the hon. Members of this Sabha to certain figures which are given on page 8 of this small brochure. An analysis of these figures will indicate that from the year 1953 onwards, the number of persons who are restored or released in India is progressively on the increase. This is natural because, after these persons have had an opportunity of meeting their relations and thinking calmly about their future, a larger number of them preferred to remain in India. Therefore, the number of persons restored or released in India is progressively increasing so much so that during the current year, that is, from January, 1956, till 30th of September, 1956—the period for which figures have been given of the total number of persons recovered and disposed of—out of 781 persons, as many as 485 were restored or released in India as compared to 296 that were transferred to and restored in Pakistan. That indicates that the ultimate and final decision is taken in accordance with the wishes of the person concerned and there cannot, therefore, be any valid allegation or valid complaint that any duress is being employed against those persons.

The second reason for the continuance of this Act is the human aspect of the problem. On the one hand, by the lapse of time, new ties have developed but in a fairly large number of cases—as these results indicate and speak for themselves—the desire to be free from this new atmosphere which had its origin in a rather ugly set of circumstances does continue to exist and it is really to afford relief to these aching souls that it is necessary that society should provide some mechanism and that is being provided in the form of the continuance of 3 P.M. this measure. At this stage I want only to add one thing that our intention is to continue this work for just as long a time as it is absolutely necessary. We have come here for extension by a period of one year and our intention is to make this last effort and if the work reaches its last leg during this period of one year, we may be able to really wind up this work even before the expiry of

this one year. If after the end of this one year any work remains to be still done, our intention is to devise some social mechanism for handling this work but so far as this process of recovery and restoration is concerned, it is hoped that this will be the last extension. Hon. Members may rightly ask as to why we have come up for extensions for periods of a year or so. It has been our desire not to have this legislative measure on the Statute Book even for a day longer than what is absolutely necessary. It was on that expectation and with that feeling in our mind that we did not ask either for long extensions or for placing this measure permanently on the Statute Book of our country. It had been thought from time to time that the work would be finished during the period for which extension was asked for at the particular moment but experience shows that the work still does require some more effort and it is for this reason that we are coming up for this extension.

There is one other aspect to which I would draw the attention of this hon. House and that is about children. On the last occasion when this Bill came up for discussion, quite naturally concern was expressed as to what would happen to children. With regard to children, the guiding principle has been to take decision which is in the best interests of the children concerned and for coming to a conclusion with that objective in view, the wishes of the mother had been more or less the guiding principle. Such of the children as are not either taken care of by the mother or by the abductor-father, as we call that individual according to the phraseology that we employ, are sent to a home and there they are looked after by an institution.

[MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair] These are the various considerations which have been very properly weighed before coming to this House for extension of the life of this Bill. Sir, I move.

MR. DEPUTY CHAIRMAN:
Motion moved :

"That the Bill to continue the Abducted Persons (Recovery and Restoration) Act, 1949, for a further period, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

سردار بدھ سنگھ (جموں اینڈ کشمیر) :
دہشتی چپر میں صاحب - دیکھنے کو تو یہ بل نہایت معمولی اور معصوم نظر آتا ہے لیکن اس کے بیک گراؤنڈ اور پس منظر کو جب آپ دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ ایک ملک کی، دیہی کی اور قوم کی عزت، وقار، قدر، قومی شان اور ذمہ داری کے ساتھ تعلق رکھتا ہے - جس رفتار سے کام ہو رہا ہے اور جس اصول کے ماتحت اس کے متعلق مجھے کوئی اعتراض نہیں - کیونکہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں وہ کسی طے شدہ اصول کے مطابق کر رہے ہیں - لیکن میری عرض یہ ہے کہ یہ سلسلہ سال بہ سال کبھی ختم ہونے کو نہیں آتا - اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سوکالڈ آزاد کشمیر کا ہمارا علاقہ 9 سال سے جبراً زبردستی ظالمانہ طور پر پاکستان کے قبضہ میں چلا گیا ہے اور وہ بہت سی عورتوں، مردوں اور بچوں کو لے گئے ہیں جنکی کوئی پکار اور کوئی بات کوئی سن نہیں پاتا ہے - اس میں کوئی شک نہیں کہ مغربی پنجاب اور مشرقی پنجاب میں جو کچھ بھی ہوا اور جنہوں نے بھی وہ کیا وہ بہت شرمناک بات تھی - کشت و خون ہوا، لڑائی ہوئی جگہڑے ہوئے اور یہ ایک بڑی شرمناک بات تھی - لیکن سب سے شرمناک بات جو ہے اور جو گناہ عظیم ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ملک کے ایک حصے کو جو کہ اپنے ہندوستانی بھائیوں سے کٹ گیا ہے اس میں چاہے کسی مذہب کے آدمی ہوں اپنے قبضہ میں رکھے وہاں کی عورتوں کو اور بچوں کو اپنی قید میں رکھے ان کی مرضی کے خلاف ان سے کاملے - ان

کی عصمت کو ان کی عزت کو، آبرو کو، خاک میں ملائے اور ان کی کوئی سنے والا نہ ہو -

میں کہوں گا کہ مہاتما گاندھی کے اس دیش میں جہاں انسا، شانتی، تہذیب، اخلاق، ہمدردی، رواداری، دھرم، حق اور انصاف کا دعویٰ کیا جاتا ہے اور اصول قائم ہے اس ملک میں کوئی بھی افوا شدہ عورت یا مرد نہیں دھنا چاہئے - لیکن اگر یہ مسئلہ صاف ہو جائے تو پھر ہندوستان کو یہ حق پہنچتا ہے ہندوستان کی یہ ذمہ داری ہو جاتی ہے ہندوستان کا فرض، دھرم اور ایمان ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی تمام طاقت اخلاقی اور مادی جتنی بھی ہو سکتی ہے اس کو لگا کر اپنی جان پر بھی کھیل کر اپنے ملک کے، اپنے قوم کے بچوں کو، لڑکے اور لڑکیوں کو جو کہ پاکستان کی قید میں ہیں واپس لائے اور ان کو چھوڑے -

اسوقت جتنی فگرس پیش کی گئی ہیں کہ ادھر سے کتنے برآمد ہوئے اور وہاں گئے اور ادھر سے کتنے معصوم بے گناہ برآمد ہوئے اور یہاں آئے اس میں دو گنے کا فرق ہے - یہ ایک بالکل حقیقت ہے - اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہاں سے کافی لوگ پاکستان میں گئے اور جنکی مرضی جانے کی تھی ان کو اجازت دی گئی اور وہ چلے گئے اور اس کے لئے یہاں تو دعویٰ کیا جاتا ہے حق کا - انصاف کا - رواداری کا - دھرم کا - شانتی کا - مذہب کا اور انسانیت کا - لیکن وہاں تو اس سلسلہ میں کوئی اصول ہی نہیں ہے - کوئی اخلاق ہی نہیں ہے - کوئی انسانیت نہیں ہے - رحم اور ہمدردی نہیں ہے - کوئی حق اور رواداری نہیں ہے - وہاں تو ہمدردی اور اخلاق و انسانیت کا دیوالہ نکل گیا ہے اور اس لئے وہ تو چھپا کر

ان لوگوں کو وہاں رکھ دیتے ہیں برآمدگی نہیں ہوتی اور نامینٹل فگرس دے دیتے ہیں۔ آپ نے کمیشن بتھا دیا تربیونل بتھا دیا اور ان کے متعلق افسر مقرر کر دیا۔ آپ نے یہاں خاصے افسر مقرر کئے تو انہوں نے بھی ایک دو افسر مقرر کر دئے اور وہ کہتے ہیں کہ چلو دیکھا جائے گا۔ اس وقت بھی بارہ بارہ اور چودہ چودہ برس کے نابالغ لڑکے بچے آتے آتے سال ان کی قید میں رہ کر اور بہت بری حالت میں رہ کر واپس آ رہے ہیں کبھی دس اور کبھی بیس اور کبھی کچھ۔ یہ سلسلہ جاری ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ دکھی لوگ کیا کہتے ہوں گے۔ وہ ہندوستان کا نقشہ دیکھتے ہیں جو کہ اب نیا بن گیا ہے اور جس میں کہ جموں و کشمیر ہے۔ یقیناً ہم نے تمام عہد و مہادے تمام قول و اقرار تمام دھرم اور سچائی پر مبنی باتیں جتنی ہو سکتی تھیں ان سب کو لفظ بہ لفظ پورا کر کے جموں و کشمیر کا قطعی طور پر اٹل بغیر کسی شک و شبہ کے بخوشی مکمل و آئینی طور پر ہندوستان کے ساتھ الحاق کر لیا ہے اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا ۲۷ ہزار مربع میل رقبہ پاکستان کے قبضہ میں ہے اور ہمارے کئی ہزار معصوم بے گناہ انسان قید و بند میں ہیں سوکالت آزاد کشمیر میں ہمارے دس لاکھ بھائی پھنسے ہوئے ہیں۔ ان کی جو درشا وہاں ہو رہی ہے خصوصاً رفیوجیز کی ان کے ساتھ جو بدترین سلوک ہو رہا ہے ان کو جس طرح سے ظالمانہ طور پر جہاں تہاں کیمپوں میں رکھا جا رہا ہے۔ انہیں کشمیری کہہ کر جس طرح بے عزت کیا جا رہا ہے ان کو جس طرح سے ذلیل کیا جاتا ہے گالی دئی جا رہی ہے اور ان کو جس طرح سے ستایا جاتا ہے یہ سب آپ روز مرہ اخباروں میں دیکھتے ہیں۔ تو یہ ہم لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ

علاقہ اور لوگ ہمارے پاس واپس آنے چاہئیں۔ ہمارے پرائم منسٹر نے بارہ کہا ہے کہ وہ علاقہ اور لوگ ہمارے ہیں اور انہوں نے وعدہ کیا ہے اور پرائم منسٹر انڈیا نے بھی کہا ہوا ہے کہ ہم چپہ چپہ زمین کو جو کہ جبراً ہم سے لے لی گئی ہے واپس لادیں گے اور جب ایسا ہوگا تبھی ہمارے دیس سٹیٹ کی اصلی باونداری قائم ہوگی اور ہمیں تسلی ہوگی۔ ہم انسانی جانوں کے نقصان کو اور مال و جائداد کے نقصان کو بھول سکتے ہیں۔ کسی کو کیا معلوم کہ کہاں کہاں قتل و خون ہوا کتنا کتنا نقصان ہوا ہے۔ نہ معلوم کتنی جانیں گئیں اور ہمارے مال کا نہ معلوم کتنا نقصان ہوا ہے۔ وہ شاید ہم بھول جائیں گے لیکن جو ہمارے بچے، بچیاں، عورتیں، بھائی بند اب بھی پاکستان کے قبضہ میں ہیں اور آزادی کے لئے چلا رہے ہیں ان کو ہم کبھی بھی نہیں بھول سکیں گے۔ اتنا بڑا شاندار ملک، اتنا بڑا طاقتور ملک، اتنی بڑی سپہیتا، اتنی بڑی سنسکرتی جو ملک رکھتا ہے اور جو اتنی بڑی تہذیب، اخلاق اور انصاف و دھرم کا دعویٰ کرتا ہے اس ملک کے لئے یہ سخت ضروری ہے کہ سارے کشمیر کے علاقہ کو آزاد کرنے سے پہلے ان بے گناہ اور بے کس لوگوں کو جو دشمنوں اور ظالموں کے شکنجوں میں تڑپ رہے ہیں واپس لائیں۔ آج اس سوال کو ہمیں دوسرے پہلو سے دنیا کی تواریخ کو سامنے رکھ کر حل کرنا ہوگا۔ آپ ہندوستان کی تواریخ کو دیکھیں دنیا میں کئی دفعہ جنگ ہوتی آئی ہے سپاہی فوجیں لڑتی ہیں لیکن ہمارے ملک میں تو ایک عجیب و غریب جنگ ہوئی۔ ہمارے یہاں ایسی جنگ ہوئی۔ جس جنگ میں سپاہی تو نہیں پکڑے جا سکے۔ اگر سپاہی پکڑے جاتے ہیں تو وہ قید میں چلے

[سرمدار بدھ سنگھ]

جاتے ہیں یا انکا تبادلہ ہو جاتا ہے لیکن ہمارے یہاں سے معصوم بچے مرد عورتیں جبراً لیجائیں گئیں، ان کی عصمت اور عزت لوتی گئی۔ ان کا پتہ نہیں کہ وہ کہاں کہاں ہیں اور کتنے ہیں۔ حملہ آورا ڈاکو، قاتل، چور، بد معاش اور غنڈے جن میں انسانیت ختم ہو چکی تھی وہ ہماری دولت، ہماری عزت، لوت کر ہمارے آدمی پکڑ کر لے گئے اور ہمارے علاقہ پر جبراً قبضہ کر لیا۔ ہماری توہین، ہماری ہوائی جہاز، ہمارے بہادر سپاہی موجود ہیں اس چیز کو دیکھتے ہیں یہ اب برداشت کے باہر بات ہے۔ کہ ہمارے بھائی دشمن کے قبضہ میں رہیں اور ہمارے رفیو جی بھائی پوچھتے ہیں کہ کیسے ہمارے سپاہی اب تک ایک چنگہ پڑے ہوئے ہیں، کیسا سیز فائر ہے اور کیا معاملہ ہے، کس طرح کا یہ سمجھوتا ہے، کب تک یہ سلسلہ رہیگا۔ ہماری عورتیں مرد ہم سے ہر طرح کے سوال پوچھتے ہیں۔ میں بھی ایک رفیو جی ہوں رفیو جیوں اور قیدیوں کے دکھ اور درد سے میرا دل بھرا ہوا ہے۔ میرے خاندان کے کئی افراد مارے گئے، میرے ساتھی اور دوسرے بھائی جنگ میں مارے گئے، سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں مارے گئے۔ لیکن افوا شدہ لوگوں کا رنج و دکھ ہے۔ میں منسٹر صاحب سے عرض کروں گا کہ میں ان کی ہمدردی اور کام کی داک دیتا ہوں لیکن کب تک ہم اس طرح انتظار میں رہیں گے۔ پاکستان کی تو مرضی ہی نہیں ہے کہ وہ کسی طرح سے بھی ہمارے علاقہ سے ہٹے اور نکلے اور ہمارے بچھوڑے ہوئے بھائیوں کو ہم سے ملنے دے۔ آج تو وہ جنگ کی دھمکیاں دیتا ہے۔ توپ بندوق اور ہوائی جہاز سے لڑائی کی تیاری

کرتا ہے اور اکثر جھوٹ بولتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ خاصہ علاقہ میرے قبضہ میں آ چکا ہے۔ عورتیں، مرد، بچے سب میرے قبضہ میں آ چکے ہیں کون واپس لے سکتا ہے۔ وہ ہماری کسی بات، اعتراض و پروتست کا جواب ہی نہیں دیتا اور کسی قسم کے بین الاقوامی قانونوں کی پرواہ ہی نہیں کرتا۔ کتنے ہی بین الاقوامی قانون اور اصول اُسے دکھائیں وہ کہتا ہے کہ نہیں اور تو اور کشمیر کا باقی حصہ بھی مجھے ملنا چاہئے۔ ادھر آپ انتظار میں ہیں کہ کب سمجھوتا ہو اور ادھر وہ تلا ہوا ہے جنگ کرنے کے لئے۔ بارڈر میں وہ حملہ کرتے ہیں، ہمارے بچوں کو، عورتوں کو، بھگا کر لیجاتے ہیں کئی واقعات اس طرح کے ہوتے رہتے ہیں۔ میں منسٹر صاحب کی خدمت میں اور ہاؤس کے سامنے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا 40 میل لمبا بارڈر ہے اور پتھانکوٹ سے لیکر 150 میل تک جو علاقہ جموں سے ملتا ہے خطرہ میں ہے۔ سب علاقہ بارڈر میں وہ تیار بیٹھے ہیں۔ جن ہمارے لوگوں کو وہ لے گئے ہیں ان پر ظلم و تشدد وغیرہ کر رہے ہیں۔ اب تو وہ اس بات پر تلے ہوئے ہیں کہ کہیں سے اس طرح کی چھیڑخانی کریں جس سے جیسا کہ پہلے بھی یونائیٹڈ نیشنز کے ساتھ مل کر، سامراجی طاقتوں کی مدد سے ان کا پروگرام تھا۔ کہ ان کی یعنی بدیشی فوجیں ایکدم ہمارے ملک میں دھوکہ سے گھس آئیں اور قبضہ کر لیں۔ جو پوزیشن پاکستان نے کشمیر کے معاملہ میں اختیار کی تھی اس کو ہم نے اور گورنمینٹ آف انڈیا نے نامعلوم کر دیا۔ اب ہم سے ہمارے رفیو جی بھائی کہتے ہیں کہ کیا کبھی ہم اپنے گھروں کو واپس جائیں گے۔ میں چپ رہتا

ہوں - مگر میں کہتا ہوں کہ جو ملک کا حصہ چلا گیا وہ ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے - اس کو واپس لاتا ہے جو زندہ انسان دشمن کے قبضہ میں ہے ان کی قید میں ہیں وہ معصوم ہے بے گناہ عورتیں اور بچے تروپ رہے ہیں، آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں - ہندوستان کے بدلتے ہوئے نقشہ کی طرف دیکھ رہے ہیں اور آہیں بھر رہے ہیں - انکو واپس لانے کی ہمیں جلد فکر کرنی چاہئے - یہاں کے حالات اخباروں اور کتابوں میں وہاں پڑھ رہے ہیں لیکن ان کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ ان کا بھی کوئی وارث ہے - آپ ہندوستان کی تواریخ پڑھئے، آپ رامائن پڑھئے، مہا بھارت پڑھئے تمام ہندو دھرم اس پر اعتقاد رکھتا ہے - سیتا کا حال پڑھئے درویدی کا حال پڑھئے، کسطرح سے ان کی آبرو اور عزت کو بچانے کے لئے لڑائی ہوئی - سارا مہا بھارت اور رامائن آپ پڑھ جائیے، آج کلجگ کے زمانہ میں آپ دنیا کی طرف دیکھیں ذرا ایسا واقعہ ہوتا ہے کچھ یورپین ممالک میں دوس کے آدمی ہلاک ہو جاتے ہیں یا کوئی عورت یا مرد قید و بند کی جانی ہے تو تمام جگہ اس کا ذکر اور شور ہوتا ہے جلگ ہوتی ہے - امریکہ کا کوئی وطنی کہیں قید ہو جاتا ہے یا مارا جاتا ہے تو ہنگاماً مچ جاتا ہے - لیکن کیا ہم میں ہمت، غیرت، ذمہ داری یا اپنے دھرم کا پالن کرنے کا احساس کم ہو گیا ہے؟ مجھے ان باتوں سے بڑا دکھ اور حیرت ہوتی ہے - میں جانتا ہوں کہ ہمارے منسٹر صاحب و سوزن سنگھ جی کو بھی اس بات کا دکھ ہے جواہر لال جی کو بھی دکھ ہے لیکن جس طریقہ سے کام ہو رہا ہے اس سے آپ کبھی امید نہیں رکھ سکتے کہ اغوا شدہ

ہمارے بھائی اور بہنیں ہم سے مل سکیں گے - ہم دنیا میں اپنے مصیبت زدہ بھائیوں کے سامنے، اپنے کانشینس، اپنے ضمیر کے سامنے خدا اور پرمانما کے سامنے کیسے جوابدہی کر سکیں گے؟ ایسی حالت میں آج ہم کیسے آزادی اور شان سے چلتے ہیں - ہم کیسے کھاتے پیتے ہیں یہ ہمارا دل ہی جانتا ہے - میں پوچھتا ہوں کہ یہ جو آپ آہستہ آہستہ کام کر رہے ہیں اس سے کیا کسی طرح قیدیوں یا اغوا شدہ غریبوں کا چھٹکارا ہو سکتا ہے - جب سے ہمارا علاقہ گیا ہم اپنا گھر نہیں بنا سکے - بے پناہ ہوکر رفیوجی بن کر، لاکھوں کی تعداد میں در بدر پھر رہے ہیں - زمین پر پڑے ہوئے ہیں، آسمان کی چھت کی طرف دیکھ رہے ہیں - رفیوجیوں کی جائیداد گھر وطن آزادی مذهب، عیش و آرام سب ختم ہو گیا - کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے علاقہ اور اپنے لوگوں کو بھول جائیں اور بیٹھے رہیں، دیکھتے رہیں اور صرف کہیں کہ ہاں ہم ہندوستان میں شامل ہیں - ہندوستان ایک بڑا ملک ہے، یہاں سیکولرزم ہے، یہاں سبھی مذہب کی آزادی و حقوق محفوظ و برابر ہیں - لیکن میں اس کے فرض و دھرم کو پھر سے یاد دلانا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے -

سپریم بتو مایہ خویش را

جو دانی حساب کم و بیش را

اب تو ہم نے اپنے آپ کو ہندوستان کے سپرد کر دیا ہے، آپ کے سپرد کر دیا ہے - بلکہ اب تو آپ کے اپنے جان و مال عزت و وقار اور آبرو کا سوال ہو گیا ہے - لیکن میں اپنے ہندوستانی بھائیوں سے کہلے طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ معافیہ اسوقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک آپ دشمن کو نوٹس نہیں دیدیتے

[سردار بدھ سنگھ]

کہ نکلے ہمارے ملک سے - جسوں
کشمیر اب آپ کا ہے -

مسٹر ڈپٹی چیرمین - جب ہم روز
مڑے اخباروں کو دیکھتے ہیں تو حیران
ہو جاتے ہیں - صبح کچھ شام کچھ -
آج وہی حملہ آور وہاں دتا ہوا ہے اور دھمکی
دے رہا ہے - اب آپ کو چاہئے کہ
جس قدر جلد ممکن ہو اس کو باہر نکالیں یا
رکھیں - خدا کے واسطے ، ایشور کے واسطے
یہ تو بتاؤ کہ وہ ۲۷ ہزار مربع میل
علاقہ کچھ کم ہے جس میں ڈاکو کے
طور پر گھس کر ، حملہ کر کے انہوں نے
قبضہ کر لیا ہے ؟ اُس نے کس قانون
سے کس لا سے ، اس پر قبضہ کیا ہوا ہے
دنیا میں کوئی منصف شخص یا طاقت
نہیں پوچھتی - کوئی یو - این - او -
کوئی دنیا کی عدالت فیصلہ نہیں کرتی
کہ کتنا بڑا ظلم ہوا ہے - کون جابر
حملہ آور اور ظالم ہے اور کون مظلوم ہے
پاکستان کو کوئی نہیں پوچھتا کہ کیوں
اس نے کتنے ہی بے گناہوں کو قید
کر رکھا ہے ، یہ کوئی نہیں پوچھتا
کہ اس کا کیا حق ہے - آخر یہ کوئی
پولیٹیکل معاملہ نہیں ہے ، کوئی
پیچیدہ مسئلہ نہیں ہے - سیدھا سادا
معاملہ ہے اپنے ہی گھر کا معاملہ ہے - ہمیں
دوسرے ملکوں میں جانے کی کیا ضرورت
ہے ؟ میں آپ کو آگاہ کرتا ہوں کہ
جب تک آپ زبردستی کسی جابر ظالم
حملہ آور کو باہر نکالیں گے نہیں تو وہ
خود نکلنے والا نہیں - یہ میں آپ کو
یقین سے کہتا ہوں اور پوری ذمہ داری
سے کہتا ہوں کہ اس کو نوٹس دیدو
کہ ہم نے اپنا کانسٹی ٹیوشن آپ کے
مطابق حسب حال اور اچھی طرح
بنایا - پوری آزادی عوام کو دی اور
الحاق کا قطعی فیصلہ کیا - کیا اس کا

ہمیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا ضرور
ہونا چاہئے مگر رفیوجیز مجھ سے پوچھتے
ہیں کہ اس آزادی کا کیسے فائدہ اٹھا
سکتے ہیں - ہم نے اپنے ملک کے لئے
اپنی جانیں لڑا دیں اور اس سلسلہ میں
جو کچھ بھی کیا اس کو کہنے کی یہاں
ضرورت نہیں - مجھے شرم آتی ہے -
آج ہمارے خاندان کے اور دوسرے بھائیوں
کے جو رشتہ دار ، بچے ہیں ، یہ کہتے ہیں
کہ کانسٹی ٹیوشن بن گیا لیکن ہم کیا
کریں - گھر نہیں رہا ، گھات نہیں رہا ،
روپیہ پیسہ نہیں رہا اور آرام و آسائش
سامان زندگی اور اپنا علاقہ نہیں رہا -
جو علاقہ ہم چھوڑ آئے ہیں وہاں ہمارے
مکان ہیں ، زمینیں ہیں ، بچھڑے ہوئے
بھائی ہیں ، ہمیں نہ واپس اپنا گھر ملتا ہے
نہ معاوضہ بلکہ تمام رفیوجی بھائیوں سے
مکانوں کا کرایہ لیا جاتا ہے - کہا جاتا
ہے یہ بات رول میں ، قانون میں لکھی
گئی ہے - لہذا نئے قانون بننے چاہئیں -
لیکن یہاں میں دیکھتا ہوں کہ صرف
لفظوں کی بحث ہو رہی ہے - ذرا اس
دل سے پوچھئے جس پر بیت رہی ہے ،
جس کے لخت جگر قید میں ہیں اور
آہیں بھر رہے ہیں - اور جو بے سرو سامان
اور دکھی ہیں -

(Time bell rings.)

معاف کیجئے گا ، میں تھوڑا اور وقت
لوں گا - تو میں عرض کر رہا تھا کہ
ہمارے بھائی کتنے دکھ میں رہ کر وہاں
آہیں بھر رہے ہیں - ان کی آہوں کے
سلگنے سے ، آگ سے وہ ملک جل جائیگا
وہاں ان پر ظلم ہو رہا ہے - پاکستان
نے جن بے گناہ لوگوں پر مظالم اور ستم
کئے ہیں ان کی آہوں سے وہ بچ نہیں
سکتا ، نہ اس سزا سے بچ سکتا
ہے جو قہر خدائی کی صورت میں
نازل ہوگی - یہ سزا قدرتی طور پر لازم

ہو گئی ہے۔ مگر میں منسٹر صاحب سے کہوں گا کہ آپ مہربانی کر کے ہم لوگوں کو جلد سے جلد اس کام کو مکمل کر کے، راحت و اطمینان پہنچانے کا بندوبست کر دیجئے۔ ہم آپ کے مشکور ہوں گے۔ لیکن یہاں سال بہ سال قانون پاس کر دینے سے ہی کام نہیں چلے گا۔ جب تک ہمارا ایک بھی انسان عورت مرد یا بچہ وہاں موجود ہے تب تک آپ کو برابر یہ کام جاری رکھنا چاہئے۔ دنیا میں کسی قوم کے بے گناہ شخص کے قتل یا اغوا کئے جانے پر جنگ ہو جاتی ہے اور ملک کا ملک تباہ ہو جاتا ہے۔ چاروں طرف سے آواز اٹھتی ہے، مقدمے چلتے ہیں بحثیں ہوتی ہیں اور اس کی تمام خبریں اخباروں میں چھاپی جاتی ہیں۔ لیکن پاکستان کے حملہ سے جو ہمارے سینکڑوں ہزاروں لوگوں کی جانیں گئیں اس کی کہیں سنوائی نہیں کی گئی۔ کسی نے مقدمہ دائر نہیں کیا۔ کسی نے ہمارا مقدمہ نہیں سنا۔ نہ عدالت ہوئی۔ ہم پوچھتے ہیں ہمارا گھر کہاں ہے تو کوئی جواب نہیں دیتا ہمارے منسٹر صاحب بھی کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ کہاں ہے ہمارا گھر۔ کہاں ہیں ہمارے آدمی۔ کہاں ہیں ہمارے بچے جو مارے گئے کم ہو گئے ان کی کوئی خبر ہی نہیں۔ جو بچے کھچے رشتہ دار یہاں ہیں یا وہاں ہیں۔ وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے آگے کیا مستقبل ہے۔ پتہ نہیں ان کا کیا مذہب رہ گیا ہے۔ کیا عزت رہ گئی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح ہم ہندوستان میں سب مذہب و ملت کے لوگ عزت کے ساتھ، بھائی بھائی کی طرح رہتے ہیں، اسی طرح سے وہ بھی رہیں۔ لیکن وہ بیچمارے قیدی بے بس ہیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اسوقت کشمیر کا معاملہ ایک بڑے نازک دور سے گزر رہا ہے پاکستان والے جنگ پر تلے ہوئے ہیں۔ آپ لوگوں نے اخباروں میں

بار بار یہ پڑھا ہوگا کہ پاکستان اعلانہ کہتا ہے کہ ہندوستان ہمارا دشمن و مخالف ہے۔ ہمارے بال بچے، عورتیں جو پاکستان میں پڑی ہوئی ہیں۔ اور جو مرد اس وقت وہاں پڑے ہوئے ہیں وہ دراصل پاکستانی حکومت کے قبضہ میں ہیں اور امید نہیں ہے کہ وہ لوگ کبھی اس طرح اپنے رشتہ داروں کے ساتھ مل بھی سکیں گے۔ ادھر کے لوگ اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لئے تڑپ رہے ہیں۔ آپ چاہے کتنے قانون بنائیں مگر ہمارے جو لوگ وہاں چلے گئے ہیں ان کا واپس آنا بہت مشکل نظر آتا ہے۔ جب آپ اپنی زمین کا وہ حصہ جو کہ پاکستان زبردستی اپنے قبضہ میں رکھے ہوئے ہے نہیں چھوڑ سکے ہوں تب یہ کیسے امید کی جا سکتی ہے کہ ان لوگوں کو جنکو پاکستانی ڈاکو اٹھالے گئے ہیں آپ زبانی باتوں سے چھوڑ سکیں۔ اور وہ واپس منٹائے جائیں گے؟ یہ سوال کشمیر کے لوگوں کے دل و دماغ میں کافی اثر پیدا کر رہا ہے۔ کیونکہ پاکستانی حملہ سے ان کے جو رشتہ دار وہاں رہ گئے ہیں ان کی واپسی کا ابھی تک کوئی تھوس اور فیصلہ کن انتظام نہیں ہوا ہے۔ جب تک کشمیر کا باقی حصہ ہمیں نہیں ملتا اور وہاں سے ہمارے بال بچے عورتیں اور دیگر لوگ واپس نہیں لائے جاتے تب تک نہ کشمیر سلامت ہے نہ اس کی باؤندری محفوظ رہ سکتی ہے اور نہ ہندوستان کا رقرار ہی قائم رہ سکتا ہے۔ اور نہ ہندوستان کی عزت و عصمت ہی قائم رہ سکتی ہے۔

تھینک یو۔

सरदार बूध सिंह (जम्मू एंड काश्मीर) :
डिप्टी चियरमैन साहब ! देखने को तो यह बिल
निहायत मामूली और मासूम नजर आत है
लेकिन इसके बैक ग्राउन्ड और पसे मंजर को जब
आप देखेंगे तो मालूम होगा कि यह एक मुत्क

[सरदार बुध सिंह]

की, देश की, और कौम की इज्जत, वकार, कदर, कौमी शान और जिम्मेदारी के साथ ताल्लुक रखता है। जिस रफ्तार से काम हो रहा है और जिस असूल के मातहत, इसके मुतल्लिक मुझे कोई एतराज नहीं है। क्योंकि जो लोग यह काम कर रहे हैं वे किसी तयशुदा असूल के मुताबिक कर रहे हैं। लेकिन मेरी अज यह है कि यह सिलसिला साल ब साल कभी खत्म होने को नहीं आता और इसकी वजह यह है कि सो काल्ड आजाद काश्मीर का हमारा इलाका नौ साल से जबरन, जबरदस्ती, जालिमाना तौर पर पाकिस्तान के कब्जे में चला गया है और वे बहुत सी औरतों, मर्दों और बच्चों को ले गये हैं जिनकी कोई पुकार और कोई बात कोई नहीं सुन पाता है। इसमें कोई शक नहीं कि मगरबी पंजाब और मशरकी पंजाब में जो कुछ भी हुआ और जिन्होंने भी वह किया वह बहुत शरमनाक बात थी। कुश्तोखन हुआ, लड़ाई हुई, झगड़े हुए और यह एक बड़ी शरमनाक बात थी। लेकिन सबसे शरमनाक बात जो है और जो गुनाहे अजीम ह वह यह है कि कोई मुल्क के एक हिस्से को जो कि अपने हिन्दुस्तानी भाइयों से कट गया है इसमें चाह किसी मजहब के आदमी हों, अपने कब्जे में रखे, वहां की औरतों को और बच्चों को अपनी कैद में रखे, उनकी मर्जी के खिलाफ इनसे काम ले, इनकी इस्मत को, इनकी इज्जत को, आबरू को खाक में मिलाये, और इनकी कोई सुनने वाला न हो।

मैं कहूंगा कि महात्मा गांधी के इस देश में जहां अहिंसा, शान्ति, तहजीब, अखलाक, हमदर्दी, रवादारी, धर्म, हक और इंसाफ का दावा किया जाता है और असूल कायम है इस मुल्क में कोई भी अगवाशुदा औरत या मर्द नहीं रहना चाहिये। लेकिन अगर यह मसला साफ हो जाय तो फिर हिन्दुस्तान को यह हक पहुंचता है, हिन्दुस्तान की यह जिम्मेदारी हो जाती है, हिन्दुस्तान का फर्ज, धर्म, और ईमान हो जाता है कि वह अपनी तमाम ताकत, अखलाकी और मादी जितनी भी हो सकती है, इसको लगाकर अपनी जान पर भी खेलकर अपने मुल्क के, अपनी कौम के बच्चों को, लड़के और लड़कियों को जो कि पाकिस्तान की कैद में हैं वापिस लाये और उनको छड़ाये।

इस वक्त जितनी फिगर्स पेश की गयी हैं कि इधर से कितने बरामद हुए और वहां गये और उधर से कितने मांसूम बेगुनाह बरामद हुए और

यहां आये इसमें दुगुने का फर्क है। यह एक बिलकुल हकीकत है। इसमें कोई शक नहीं कि यहां से काफी लोग पाकिस्तान में गये और जिनकी मर्जी जाने की थी उनको इजाजत दी गयी और वे चले गये और इसके लिये यहां तो दावा किया जाता है हक का, इंसाफ का, रवादारी का, धर्म का, शान्ति का, मजहब का और इन्मानियत का। लेकिन वहां तो इस सिलसिले में कोई असूल ही नहीं है। कोई अखलाक ही नहीं है, कोई इन्सानियत नहीं है, कोई रहम और हमदर्दी नहीं है, कोई हक और रवादारी नहीं है, वहां तो हमदर्दी और अखलाक व इन्सानियत का दिवाला निकल गया है और इसलिये वे तो छुपाकर उन लोगों को वहां रखे हुए हैं, बरामदगी नहीं होती, और नोमीनल फिगर्स दे देते हैं। आपने कमीशन बिठा दिया, ट्रिब्यूनल बिठा दिया, और इनके मुतल्लिक अफसर मुक़र्रर कर दिया। आपने यहां खासे अफसर मुक़र्रर किये तो उन्होंने भी एक दो अफसर मुक़र्रर कर दिये और वे कहते हैं कि चलो देखा जायगा। इस वक्त भी बारह-बारह और चौदह-चौदह वर्ष के नाबालिग लड़के, बच्चे, आठ-आठ साल उनकी कैद में रहकर और बहुत बुरी हालत में रहकर वापस आ रहे हैं। कभी दस, कभी बीस और कभी कुछ। यह सिलसिला जारी है। तो मैं कहना चाहता हूं कि वे दुःखी लोग क्या कहते होंगे। वे हिन्दुस्तान का नक्शा देखते हैं जो कि अब नया बन गया है और जिसमें कि जम्मू और काश्मीर है। यकीनन हमने तमाम अहद व मुआहदे, तमाम कौल व इकरार, तमाम धर्म और सच्चाई पर मबनी बातें जितनी हो सकती थीं उन सबको लपज ब लपज पूरा करके जम्मू व काश्मीर का कतई तौर पर, अटल, बगैर किसी शक व शुबा के, ब. खुशी मुकम्मिल व आयनी तौर पर हिन्दुस्तान के साथ इलहाक कर लिया है और अब हम देख रहे हैं कि हमारा २७ हजार मुरब्बा मील रकबा पाकिस्तान के कब्जे में है और हमारे कई हजार मांसूम बेगुनाह इन्सान कैद व बन्द में हैं सो काल्ड आजाद काश्मीर में हमारे दस लाख भाई फंसे हुये हैं। इनकी जो दुर्दशा वहां हो रही है खुसूसन रिपयूजीज की, उनके साथ जो बदतरीन सलूक हो रहा है, उनको जिस तरह से जालिमाना तौर पर जहा-तहां कैम्पों में रखा जा रहा है। उन्हें काश्मीरी कहकर जिस तरह बेइज्जत किया जा रहा है उनको जिस तरह से जलील किया जाता है, गाली दी जा रही है, और इनको जिस तरह से सताया जाता है, यह सब आप रोजमर्रा अखबारों में देखते हैं। तो यह हम लोगों का कहना है

कि वह इलाका और लोग हमारे पास वापिस आने चाहियें। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बारहा कहा है कि वह इलाका और लोग हमारे हैं और उन्होंने वायदा किया है और प्राइम मिनिस्टर, इंडिया ने भी कहा हुआ है कि हम चप्पा-चप्पा जमीन को जो कि हमसे जबरन ले ली गई है वापस ला देंगे और जब ऐसा होगा तभी हमारे देश, स्टेट की असली बाउंड्री, कायम होगी और हमें तसल्ली होगी। हम इन्सानी जानों के नुकसान को और माल व जायदाद के नुकसान को भूल सकते हैं। किसी को क्या मालूम कि कहां-कहां कत्ल व खून हुआ, कितना कितना नुकसान हुआ है। न मालूम कितनी जानें गईं और हमारा माल का न मालूम कितना नुकसान हुआ है। वह शायद हम भूल जायेंगे लेकिन जो हमारे बच्चे, बच्चियाँ, औरतें, भाई बंद अब भी पाकिस्तान के कब्जे में हैं और आजादी के लिये चिल्ला रहे हैं उनको हम कभी भी नहीं भूल सकेंगे। इतना बड़ा शानदार मुल्क, इतना बड़ा ताकतवर मुल्क, इतनी बड़ी सम्भ्यता, इतनी बड़ी संस्कृति, जो मुल्क रखता है और जो इतनी बड़ी तहजीब, अखलाक और इन्साफ व धर्म का दावा करता है इस मुल्क के लिये यह सख्त जरूरी है कि सारे काश्मीर के इलाके को आजाद करने से पहले उन बेगुनाह और बेकस लोगों को जो दुश्मनों और जालिमों के शिकंजों में तड़प रहे हैं वापस लायें। आज इस सवाल को हमें दूसरे पहलू से दुनिया की तवारीख के सामने रखकर हल करना होगा। आप हिन्दुस्तान की तवारीख को देखें। दुनिया में कई दफा जंग होती आई है, सिपाही फौजें लड़ती हैं। लेकिन हमारे मुल्क में तो एक अजीबोगरीब जंग हुई। हमारे यहां ऐसी जंग हुई जिस जंग में सिपाही तो नहीं पकड़े जा सके—अगर सिपाही पकड़े जाते हैं तो वह कैद में चले जाते हैं, उनका तबादला हो जाता है—लेकिन हमारे यहां से मामूम बच्चे, मर्द, औरतें जबरन ले जाई गईं, उनकी इस्मत और इज्जत लूटी गई। उनका पता नहीं कि वे कहां कहां हैं और कितने हैं। हमलावर डाकू, कातिल, चोर, बदमाश और गुंडे जिनमें इन्सानियत खत्म हो चुकी थी वे हमारी दौलत, हमारी इज्जत, लूटकर हमारे आदमी पकड़ कर ले गये और हमारे इलाके पर जबरन कब्जा कर लिया। हमारी तोपें, हमारे हवाई जहाज, हमारे बहादुर सिपाही, मौजूद हैं, इस चीज को देखते हैं। यह अब बर्दाश्त के बाहर बात है कि हमारे भाई दुश्मन के कब्जे में रहें और हमारे रिफ्यूजी भाई पृच्छते हैं कि कैसे हमारे सिपाही अब तक एक जगह पड़े हुए

हैं, कैसा सीज फायर है और क्या मामला है, किस तरह का यह समझौता है, कब तक यह सिलसिला रहेगा। हमारी औरतें, मर्द, हमसे हर तरह के सवाल पूछते हैं। मैं भी एक रिफ्यूजी हूँ। रिफ्यूजियों और कैदियों के दुःख और दर्द से मेरा दिल भरा हुआ है। मेरे खानदान के कई अफराद मारे गये, मेरे साथी और हमारे भाई जंग में मारे गये, सैकड़ों और हजारों की तादाद में मारे गये। लेकिन अगवाशुदा लोगों का रंज व दुःख है। मैं मिनिस्टर साहब से अर्ज करूंगा कि मैं इनकी हमदर्दी और काम की दाद देता हूँ लेकिन कब तक हम इस तरह इन्तजार में रहेंगे। पाकिस्तान की तो मर्जी है ही नहीं कि वह किसी तरह से भी हमारे इलाके से हटे और निकले और हमारे बिछड़े हुए भाइयों को हमसे मिलने दे, आज तो वह जंग की धमकियां देता है। तोप, बन्दूक और हवाई जहाज से लड़ाई की तैयारी करना है और अक्सर भूठ बोलता है। वह जानता है कि खासा इलाका मेरे कब्जे में आ चुका है। औरतें, मर्द, बच्चे सब मेरे कब्जे में आ चुके हैं, कौन वापस ले सकता है। वह हमारी किसी बात, ऐतराज व प्रोटेस्ट का जवाब ही नहीं देता और किसी किस्म के बैन अलाकुआमी कानूनों की परवाह ही नहीं करता। कितने ही बैन अलाकुआमी कानून और अमूल उसे दिखायें वह कहता है कि नहीं। और तो और काश्मीर का बाकी हिस्सा भी मुझे मिलना चाहिये। उधर आप इन्तजार में हैं कि कब समझौता हो और उधर वह तुला हुआ है जंग करने के लिये। बार्डर में वह हमला करते हैं हमारे बच्चों को, औरतों को, भगाकर ले जाते हैं कई वाकयात इस तरह के होते रहते हैं। मैं मिनिस्टर साहब की खिदमत में और हाउस के सामने यह अर्ज करना चाहता हूँ कि हमारा सात सौ मील लम्बा बार्डर है और पठानकोट से लेकर १५० मील तक जो इलाका जम्मू से मिलता है खतरे में है। सब इलाका बार्डर में वे तैयार बैठे हैं। जिन हमारे लोगों को वे ले गये हैं, इन पर जुल्म व तशद्दुद वगैरा कर रहे हैं। अब तो वे इस बात पर तुले हुए हैं कि कहीं से इस तरह की छेड़खानी कर जिससे जैसा कि पहले भी युनाइटेड नेशन्स के साथ मिलकर साम्राज्यी ताकतों की मदद से उनका प्रोग्राम था, कि इनकी यानी विदेशी फौजें एकदम हमारे मुल्क में धोके से घुस आयें और कब्जा कर लें। जो पोजीशन पाकिस्तान ने काश्मीर के मामले में अख्तियार की थी उसको हमने और गवर्नमेंट आफ इंडिया ने नामंजूर कर दिया। अब हमसे हमारे रिफ्यूजी भाई कहते

[सरदार बूध सिंह]

है कि क्या कभी हम अपने घरों को वापस जायेंगे। मैं चुप रहता हूँ मगर मैं कहता हूँ कि जो मुल्क का हिस्सा चला गया वह हमारे हाथ से निकल चुका है इसको वापस लाना है। जो जिन्दा इन्सान दुश्मन के कब्जा में, उनकी कैद में है, वे मासूम, बेगुनाह औरतें और बच्चे तड़प रहे हैं, आसमान की तरफ देख रहे हैं। हिन्दुस्तान के बदलते हुए नक्शा की तरफ देख रहे हैं और आहें भर रहे हैं। उनको वापस लाने की हमें जल्द फिकर करनी चाहिये। यहां के हालात अखबारों और किताबों में वहां पढ़ रहे हैं लेकिन उनकी समझ में यह नहीं आ रहा है कि उनका भी कोई वारिस है। आप हिन्दुस्तान की तवारीख पढ़िये, आप रामायण पढ़िये, महाभारत पढ़िये, तमाम हिन्दू धर्म इस पर एतकाद रखता है। सीता का हाल पढ़िये, द्रौपदी का हाल पढ़िये किम तरह से उनकी आबरू और इज्जत को बचाने के लिये लड़ाई हुई। सारा महाभारत और रामायण आप पढ़ जाइयें; आज कलयुग के जमाने में आप दुनिया की तरफ देखें, जरा ऐसा वाक्या होता है कि कुछ यूरोपियन मुमालक में रूस के आदमी हलाक हो जाते हैं या कोई औरत या मर्द कैद व बन्द की जाती है तो तमाम जगह इसका जिक्र और शोर होता है, जंग होती है। अमरीका का कोई वतनी कहीं कैद हो जाता है या मारा जाता है तो हंगामा मच जाता है। लेकिन क्या हममें हिम्मत, गैरत, जिम्मेदारी या अपने धर्म के पालन करने का अहसास कम हो गया है? मुझे इन बातों से बड़ा दुःख और हैरत होती है। मैं जानता हूँ कि हमारे मिनिस्टर साहब, स्वर्णसिंह जी को भी इस बात का दुःख है, जवाहरलाल जी को भी दुःख है। लेकिन जिस तरीके से काम हो रहा है इससे आप कभी उम्मीद नहीं रख सकते कि अगवाशुदा हमारे भाई और बहनें हमसे मिल सकेंगे। हम दुनिया में अपने मुसीबतजदा भाइयों के सामने, अपने कौशियन्स, अपने जमीर के सामने, खुदा और परमात्मा के सामने, कैसे जवाबदेही कर सकेंगे? ऐसी हालत में आज हम कैसे आजादी और शान से चलते हैं, हम कैसे खाते-पीते हैं यह हमारा दिल ही जानता है। मैं पूछता हूँ कि यह जो आप आहिस्ता-आहिस्ता काम कर रहे हैं इमने क्या किसी तरह कैदियों, अगवाशुदा गरीबों का छुटकारा हो सकता है। जब से हमारा इलाका गया हम अपना घर नहीं बना सके। बेपनाह होकर, रिफ्यूजी बनकर, लाखों की तादाद में दरबंद रह रहे हैं, जमीन पर पड़े

हुए हैं, आसमान की छत की तरफ देख रहे हैं। रिफ्यूजियों की जायदाद, घर, वतन, आजादी, मजहब, ऐश व आराम सब खत्म हो गया। क्या आप चाहते हैं कि हम अपने इलाके और अपने लोगों को भूल जायें और बैठे रहें, देखते रहें, और सिर्फ कह दें कि हां हम हिन्दुस्तान में शामिल हैं। हिन्दुस्तान एक बड़ा मुल्क है, यहां सैक्यूलरिज्म है, यहां सभी मजहब की आजादी व हकूक महफूज व बराबर हैं। लेकिन मैं इसके फर्ज व धर्म को फिर से याद दिलाना चाहता हूँ और वह यह है,

सिपुरदम बतो मायाए ख्वेश रा

चू दानी हिमाबे कमो वेश रा !

अब तो हमने आपको हिन्दुस्तान के सुपुर्द कर दिया है, आपके सुपुर्द कर दिया है, बल्कि अब तो आपके अपने जान व माल, इज्जत व वकार और आबरू का सवाल हो गया है। लेकिन मैं अपने हिन्दुस्तानी भाइयों से खुले तौर पर यह कहना चाहता हूँ कि यह मामला उस वक्त तक खत्म नहीं होगा जब तक आप दुश्मन को नोटिस नहीं दे देते कि निकलो हमारे मुल्क से। जम्मू व काश्मीर अब आपका है।

मि० डिप्टी चेयरमैन। जब हम रोजमर्रा अखबारों को देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं। सुबह कुछ शाम कुछ। आज वही हमलावर वहां डटा हुआ है और धमकी दे रहा है। अब आपको चाहिये कि जिस कदर जल्द मुमकिन हो उसको बाहर निकालें या रखें। खुदा के वास्ते, ईश्वर के वास्ते, यह तो बताओ कि वह २७,००० (सताईस हजार) मुरब्बा मील इलाका कुछ कम है जिसमें डाकू के तौर पर घुस कर, हमला करके उन्होंने कब्जा कर लिया है? उसने किस कानून से, किस ला से, इस पर कब्जा किया हुआ है। दुनिया में कोई मुंसिफ शल्स या ताकत नहीं पूछती। कोई यू० एन० ओ०, कोई दुनिया की अदालत फँसला नहीं करती कि कितना बड़ा जुल्म हुआ है। कौन जाबर, हमलावर, और जालिम है और कौन मजलूम है। पाकिस्तान को कोई नहीं पूछता कि क्यों उसने कितने ही बेगुनाहों को कैद करके रखा हुआ है, यह कोई नहीं पूछता कि उसका क्या हक है। आखिर यह कोई पोलिटिकल मामला नहीं है, कोई पेचीदा मामला नहीं है। सीधा-साधा मामला है। अपने ही घर का मामला है। हमें दूसरे मुल्कों में जाने की क्या जरूरत है? मैं आपको आगाह करता हूँ कि जब तक आप जबरदस्ती किसी जाबर, जालिम हमलावर

को, बाहर निकालेंगे नहीं तो वह खुद निकलने वाला नहीं। यह मैं आपको यकीन से कहता हूँ और पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि उसको नोटिस दे दो। जो हमने अपना कांस्टीट्यूशन आपके मुताबिक, हसबेहाल और अच्छी तरह बनाया, पूरी आजादी अवाम को दी और इलहाक का कतई फैसला किया, क्या उसका हमें कोई फायदा हासिल नहीं होगा। जरूर होना चाहिये मगर रिफ्यूजीज मुझसे पूछते हैं कि इस आजादी का कैसे फायदा उठा सकते हैं। हमने अपने मुल्क के लिये अपनी जानें लड़ा दीं। और इस सिलसिले में जो कुछ भी किया उसको कहने की यहां जरूरत नहीं। मुझे शर्म आती है। आज हमारे खानदान के और दूसरे भाइयों के जो रिस्तेदार, बच्चे है यह कहते हैं कि कांस्टीट्यूशन बन गया लेकिन हम क्या करें? घर नहीं रहा, घाट नहीं रहा, रुपया पैसा नहीं रहा और आराम व आसायश, सामाने जिनदगी और अपना इलाका नहीं रहा। जो इलाका हम छोड़ आये हैं वहां हमारे मकान हैं, जमीनें हैं, बिछड़े हुये भाई हैं, हमें ना अपना घर वापस मिलता है न मुआवजा बल्कि तमाम रिफ्यूजी भाइयों से मकानों का किराया लिया जाता है। कहा जाता है यह बात रूल में, कानून में लिखी गई है। लिहाजा नये कानून बनने चाहियें। लेकिन यहां मैं देखता हूँ कि सिर्फ लफ्जों की बहस हो रही है। लेकिन जरा इस दिल से पूछिये जिस पर वीत रही है जिसके लक्जेजिगर कैद में हैं और आहें भर रहे हैं। और जो बेसर व सामान और दुःखी हैं। (*Time bell rings*) माफ कीजियेगा, मैं थोड़ा और वक्त लूंगा। तो मैं अरज कर रहा था कि हमारे भाई कितने दुःख में रह कर वहां आहें भर रहे हैं। इनकी आहों के मुलगने से, आग से वह मुल्क जल जायेगा। वहां उन पर जुल्म हो रहा है। पाकिस्तान ने जिन बेगुनाह लोगों पर मजालम और सितम किये हैं। उनकी आहों से वह बच नहीं सकता, ना इस सजा से बच सकता है जो कहर खुदाई की सूरत में नाजिल होगी। यह सजा कुदरती तौर पर लाजिम हो गई है। मगर मैं मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि आप मेहरबानी करके हम लोगों को जल्द से जल्द इस काम को मुकम्मल करके, राहत व इतमिनान पहुंचाने का बन्दोबस्त कर दीजिये। हम आपके मश्कूर होंगे। लेकिन यहां साल ब साल कानून पास कर देने से ही काम न चलेगा। जब तक हमारा एक भी इन्सान, औरत या मर्द या बच्चा वहां मौजूद है तब तक आप को बराबर यह काम जारी रखना

चाहिये। दुनियां में किसी कौम के बेगुनाह शरस के कत्ल या अगवा किये जाने पर जंग हो जाती है और मुल्क का मुल्क तबाह हो जाता है। चारों तरफ से आवाजें उठती हैं, मुकदमें चलते हैं, बहसें होती हैं, और इसकी तमाम खबरें अखबारों में छपी जाती हैं। लेकिन पाकिस्तान के हमले से जो हमारे सैकड़ों, हजारों लोगों की जानें गई इसकी कही सुनवाई नहीं की गई। किसी ने मुकदमा दायर नहीं किया। किसी ने हमारा मुकदमा नहीं सुना। ना अदालत हुई। हम पूछते हैं हमारा घर कहां है तो कोई जवाब नहीं देता। हमारे मिनिस्टर साहब भी कोई जवाब नहीं दे सकते। कहां है हमारा घर, कहां है हमारे आदमी, कहां हैं हमारे बच्चे जो मारे गये, गुम हो गये, उनकी कोई खबर ही नहीं। जो बचेखुचे रिस्तेदार यहां है या वहां हैं वे यह जानना चाहते हैं कि हमारे आगे क्या मुस्तकबल है। पता नहीं कि इनका क्या मजहब रह गया है, क्या इज्जत रह गई है। वे चाहते हैं कि जिस तरह हम हिन्दोस्तान में सब मजहब व मिल्लत के लोग इज्जत के साथ भाई भाई की तरह रहते हैं, इसी तरह से वह भी रहें। लेकिन वे बेचारे कैदी, बेबस हैं।

मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस वक्त काश्मीर का मामला एक बड़े नाजुक दौरे से गुजर रहा है। पाकिस्तान वाले जंग पर तुले हुये हैं। आप लोगों ने अखबारों में बार-बार यह पढ़ा होगा कि पाकिस्तान एलानिया कहता है कि हिन्दुस्तान हमारा दुश्मन वा मुखालिफ है। हमारे बाल बच्चे, औरतें जो पाकिस्तान में पड़ी हुई हैं और जो मर्द इस वक्त वहां पड़े हुये हैं वह दरअसल पाकिस्तानी हुकूमत के कब्जे में हैं और उम्मीद नहीं है कि वह लोग इस तरफ अपने रिस्तेदारों के साथ मिल भी सकेंगे। उधर के लोग अपने रिस्तेदारों से मिलने के लिये तड़प रहे हैं। आप चाहे कितने कानून बनायें मगर हमारे जो लोग वहां चले गये हैं उनका वापस आना बहुत मुश्किल नजर आता है। जब आप अपनी जमीन का वह हिस्सा जो कि पाकिस्तान जबरदस्ती अपने कब्जे में रखे हुये हैं नहीं छोड़ा सके हैं तब यह कैसे उम्मीद की जा सकती है कि उन लोगों को जिनको पाकिस्तानी डाकू उठा ले गये हैं आप जबानी बातों से छड़ा सकेंगे और वे वापस मंगाये जायेंगे? यह सवाल काश्मीर के लोगों के दिल व दिमाग में काफी असर पैदा कर रहा है। क्योंकि पाकिस्तानी हमले से इनके जो रिस्तेदार वहां रह गये हैं उनकी वापसी का अभी तक कोई ठोस और

[सरदार बंधु सिंह]

फैसला कुन इन्तजाम नहीं हुआ है। जब तक काश्मीर का बाकी हिस्सा हमें नहीं मिलता और वहां से हमारे बाल बच्चे, औरतें और दीगर लोग वापस नहीं लाये जाते तब तक न काश्मीर सलामत है, न उसकी बाउंडरी महफूज रह सकती है और न हिन्दुस्तान का वकार ही कायम रह सकता है और न हिन्दुस्तान की इज्जत व अजमत ही कायम रह सकती है। थैक यू।

श्रीमती अनीस किदवाई (उत्तर प्रदेश) :

जनाब डिप्टी चैयरमैन माहब, रिकवरी और रेस्टोरेशन बिल साल ब साल आपके सामने तौसी के लिए आता है। ६ साल हो चुके हैं। चन्द महीनों के अन्दर सर फिरे लोगों ने इतना बड़ा प्रान्लम खड़ा कर दिया था कि आज ६ वर्ष बीत जाने पर भी हम इसे हल नहीं कर सके। ऐसा क्यों है, कोई न कोई कारण तो होगा। सवाल यह है कि क्या अब भी इस एक्ट की जरूरत है? है तो क्या जो तरीकेकार अख्तियार किया गया था वही जारी रहना चाहिये। जनावे आली, इस बारे में तो कोई दो रायें नहीं हो सकती कि रिकवरी का काम अब खत्म होना चाहिये। ६ वर्ष हो चुके हैं। आखिर हम कब तक इस लकीर को पीटते रहेंगे और साल ब साल इस एक्ट में तौसी करते रहेंगे। लेकिन मुझे इजाजत दीजिये कि यह कहने से पहले हमें एक नजर उन तमाम मसायल पर डाल लेनी चाहिये जिनसे गवर्नमेंट, स्टाफ और अवाम इस वक्त दो चार हो रहे हैं।

वाक्या यह है कि लडकियों का अगवा तो नफरत, तास्सुब और सियासी बुनियादों पर हुआ, लेकिन निकास सिर्फ इन्सानियत, शराफत, और आदर्श की बुनियाद पर शुरू किया गया। मुझे याद है कि दिसम्बर सन् १९४७ में, वह पहली लडकी जिसे हूंदने डा० मुशिला नायर और मैं गई थीं और जिसे पुलिस से मदद लिये बिना बरामद कर लिया गया था, एक शौहर की वक्ती फरियाद की बिना पर थी। वह रोता हुआ हमारे पास आया और रहम व इन्सानियत के तकाजे से हम उसे हूंदने चल पड़े। और इसके बाद रोज रोज हमारे सामने अपनी मसीबतें लेकर बाप, भाई, शौहर और मां बहिन आने लगीं। बापू की इजाजत से हम उनकी मदद करते रहे। बापू ने प्रार्थना की, तकरीरों में अपील की और इस तरह से यह सिलसिला चल पड़ा। लेकिन यह सब सोशल वर्क्स के हाथों होता रहा।

बापू के शहीद हो जाने के बाद भी एक दो माह तक यूं ही रहा लेकिन फिर गवर्नमेंट ने बाकायदा स्टाफ मुकर्रर कर दिया, कैम्प खोल दिये, पुलिस और सोशल वर्क्स की मदद से यह काम होता रहा और इन लडकियों को निकालने का काम शुरू हुआ। हिन्दुस्तान और पाकिस्तान से डेलीगेशन आये और गये। आपस में एग्रीमेंट हुआ और सरकारी तरीके से बाकयदा इस काम को अपना लिया गया, जिसे हम जैसे चंद लोगों ने शुरू कर रखा था। लेकिन नान आफिशियल मदद और सपोर्ट आफिसर्स के साथ बराबर रही और इसमें मैं खुद और मेरे बहुत से साथी शामिल थे।

ज्यू-ज्यू देर होती रही लोग साथ छोड़ते रहे और अब तकरीबन दो साल से रिकवरी बिल्कुल आफिसर स्टाफ और पुलिस के बल वृत्ते पर हो रही है। जनावे आली, यह है बैक-आउन्ड इस एक्ट का। इस बीच में दो इन्डो-पाकिस्तान कांफ्रेंसें, एक देहली में सन् १९५४ में और एक कराची में जुलाई सन् १९५६ में हुई। और उनमें यह फैसला हुआ कि एक फैक्ट फाइंडिंग कमीशन मुकर्रर हो जिसका काम यह अन्दाजा करना हो कि दोनों देशों में कितना काम हुआ है और कितना करना अभी बाकी है। कौनसा तरीका बरता जाय जिससे रिकवरी का काम जल्दी खत्म हो। चुनांचे हाई पावर्ड आफिसर्स के लिये दो असिस्टेंट आफिसर मुकर्रर किये गये और साथ ही यह भी तय हुआ कि लडकियों का निकास तेज कराने के लिये प्रोपेगन्डा किया जाय।

दोनों मुल्कों के आफिसर जुलाई में इस पर मुतफिक थे कि एक्ट में तौसी होना चाहिये क्योंकि काम अभी बहुत बाकी है। फैक्ट फाइंडिंग कमीशन को जिसमें दोनों देशों के हाई पावर आफिसर और असिस्टेंट आफिसर शामिल थे ६ माह हो चुके हैं, चार माह उसने काम किया। उन्होंने क्या रिपोर्ट दी? क्या यह प्रोग्रेस रिपोर्ट उन्हीं की है? यह राज कुछ खुलता नहीं। अलबत्ता यह जाहिर होता है कि असिस्टेंट आफिसर ने यह जरूर किया कि दोनों देशों में अभी ५० हजार केसेज यानी औरतें और बच्चे अभी ऐसे बाकी हैं जिनका निकालना जरूरी है। कमीशन ने चंद केसेज लेकर लोगों की शहादतें यानी गवाहियां भी लीं। उन्होंने रिपोर्ट लिखी और उम पर दस्तखत भी किये। लेकिन क्या यह सही है कि हाई पावर्ड आफिसर और वे एक दूसरे से लड़ पड़े? और यह भी सुना है कि चार महीने से वे इकट्ठे मिले भी नहीं, न उन्होंने

कोई मीटिंग की है। कहीं इसी बात पर तो कमीशन फेल नहीं हुआ है ?

जनावे आली, सवाल यह है कि क्या हार्ड पावर्ड आफिसर यह काम नहीं कर सकते थे ? और क्या मैं यह पूछ सकती हूँ कि इस कमीशन पर कितना रुपया सर्प किया गया और इससे क्या नतीजा बरामद हुआ जब कि उनकी बाकायदा रिपोर्ट तक हाउस के सामने न आ सकी। इससे पहले भी एक पैम्फलेट दोनों देशों में सन् १९५४ में बांटा गया और एक इस वक्त हमारे सामने है। इसमें सन् १९५४ से सन् १९५६ तक का हाल है, लेकिन इससे यह जाहिर नहीं होता कि कांग्रेस में जो मंजूर हुआ उस पर कितना अमल हुआ। जुलाई से नवम्बर तक काम में क्या तेजी हुई, कितनी रिकवरी हुई, कितने केसेज क्लोज कर दिये गये, सिर्फ यह मालूम होता है कि सन् १९४७ से लेकर ३० सितम्बर तक २५,५४८ औरतें हिन्दुस्तान से गई, उसमें से ५४ केमेज पेंडिंग हैं। ३० सितम्बर तक उनका फैसला न हुआ था। ३८४६ हिन्दुस्तान में दे दिये गये। पाकिस्तान से ९७८६ हिन्दुस्तान आई। जहां तक प्रोपेगन्डा का सवाल है, यह प्रोपेगन्डा तो जरूर हुआ कि रिकवरी बन्द होनी चाहिये लेकिन जल्दी होनी चाहिये, ऐसी कोई बात न हो सकी। मैं खुद अब इसे जारी रखने के हक में नहीं हूँ। लेकिन सवाल यह है कि हमने इसे शुरू किया था इन्मानी हमदर्दी की बिना पर, भारत के ऊंचे आदर्श को कायम रखने के लिये, अखलाकी बनियादों को खोखली होने से बचाने के लिए। पाकिस्तान पर धोस जमाने या दुनिया को दिखाने के लिये नहीं किया था। पाकिस्तान क्या करता है अगर यह हम देखते रहते तो आज दुनिया में हमारी भी वही दशा होती कि कोई हमसे मिलने से इंकार कर देता और कोई स्वागत करने के बदले वापस जाओ के नारे लगाता। इस मामले में भी हमारा मियां पाकिस्तान के लिये मिमाल और काबिले तकलीफ रहा है। सबसे पहले मुल्क के साफ दिल और साफ दिमाग औरतें, मर्द और नौजवान आगे बढ़े। एक अच्छा खासा गिरोह था, जिनके पास युनिवर्सिटी की डिग्रियाँ न सही, लेकिन इखलाकी, मजहबी और सच्चाई का डिप्लोमा था और उन्होंने अपनी जान पर खेलकर, हिन्दू ने हिन्दू गुंडे से और सिख ने सिख गुंडे से शरीफ औरतों की जानमाल और इज्जत बचाई। पाप और गन्दगी के इस दौर में वे लोग सत्य को मानने वाले थे, इसी वजह से आसमान हमारे सरो पर नहीं गिरा। उन्होंने अपनी इज्जत और जान की भी परवाह न की और देश के माथे

से इस कलंक के टीके को मिटाने में दिन रात एक कर दिया।

मैं अपने उन साथियों की और उन आनरेरी और पेड वर्क्स की किस जवान से तारीफ करूँ जिन्होंने बिछड़ों को मिलाने के लिए न आराम व सुख की परवाह की, न पैसे की कमी और ज्यादाती की चिन्ता की, बल्कि इस काम को अपना समझकर किया।

जनावे आली, आज जब रिकवरी एक्ट में तौसी का सवाल आता है तो बहुतों के मुँह से यह बोली सुनकर तकलीफ होती है कि रिकवरी स्टाफ अपनी नौकरी और माली नुकसान के ख्याल से इस एक्ट में तौसी चाहता है। स्टाफ में आला तालीमयाफता भी हैं और मामली पढ़े लिखे भी हैं। मुझे उन सबके साथ अब मे चन्द साल पहले काम करने का इत्फाक हुआ है, इसलिये मैं पूरे वसूक से कह सकती हूँ कि उनमें से कोई भी इतना गिरा हुआ नहीं है और छोटी तबीयत का नहीं है। वह सब बा उम्मू लोग हैं। अपने उसूलों के लिये, अपने देश की इज्जत के लिये और इन्साफ, औरत की इज्जत और इन्सानियत को आगे बढ़ाने के लिये उन्होंने इस काम को अपनाया था, पैसे की खातिर नहीं। इसलिये उनकी इस ख्वाहिश में जरूर कोई वजह होगी जिससे आनरेबिल मिनिस्टर भी मुतासिर हुए हैं और उन्होंने नवम्बर सन् १९५७ तक इस एक्ट को और आगे बढ़ाना मंजूर कर लिया है। काम करने वाले जिमे ठीक समझते हों और जिम्मेदार आनरेबिल मिनिस्टर जिसकी जरूरत महसूस करते हों, उसे मैं कैसे गलत कह सकती हूँ और कोई भी गैर मुतालिक आदमी कैसे कह सकता है। आनरेबिल मिनिस्टर से जब से यह मुहकमा मुतालिक हुआ है, आपने हमेशा बड़ी हमदर्दी, दिलचस्पी और तबज्जुह से इन मसायल को हल करने की कोशिश की है, इसके लिये हम सब आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। अगर आप जरूरी समझते हैं तो मैं यही कहूँगी कि जरूर तौसी होनी चाहिये। मगर जनावे आली, मुझे यह कहने की इजाजत दीजिये कि यह तौसी सिर्फ नवम्बर सन् १९५७ तक ही होनी चाहिये। खुदा न करे यह एक्ट अब फिर तौगी के लिये हमारे सामने आये। शर्मनाक बातों का बारबार जिक्र करना किसे अच्छा मालूम होता है। लेकिन यह कहे बगैर नहीं रहा जाता है कि अगर वाकई इस काम को नवम्बर तक कर ही डालना है तो फिर कोई ऐसा ढंग सोचिये कि डिपार्टमेंट का नजरिया जरा बदले।

[श्रीमती अनीस किदवाई]

रिकवरी होनी चाहिये और उस वक्त तक होनी चाहिये जब तक कि एक औरत या बच्चा भी जबरन कहीं रहने पर मजबूर है। लेकिन ऐसा लगता है इस वक्त दोनों देशों में काम आफिशियल लेबल पर हो रहा है। नान आफिशियल एलीमेन्ट का कोई दखल इसमें नहीं है क्योंकि अभी हाल ही में दोनों मुल्कों में अगवाशुदा लड़कियों की एक लिस्ट छपवाकर बांटी गई है। मैं हैरान हूँ कि यह कैसे हुआ। इसे सिर्फ अफसरान ही सोच सकते थे और कर सकते थे, कोई भी समाजी कारकून सारी दुनिया में अपने देश की लड़कियों की, उनके वालदेन और शौहरों की हसवाई और बदनामी पसन्द नहीं करेगा। करने वालों ने यह नहीं सोचा कि लड़कियों के माथे पर यह पैम्फलेट छापकर जो हम मोहर लगा रहे हैं यह मरते दम तक नहीं छुटेगी और दो चार पुस्त तक उनको माफ न किया जायेगा, इससे लड़कियों की जिन्दगी खराब और उनके रिश्तेदारों की गर्दन सोसाइटी के सामने नीची होगी बहर हाल अब सवाल यह है कि अगले नवम्बर तक काम खत्म कैसे किया जाय। चूंकि रिकवरी कम हो रही है इसलिये यह सुझाव है कि कैम्प बन्द कर दिये जाय, रिकवरी के लिये स्पेशल पुलिस हटा कर डिस्ट्रिक्ट पुलिस से काम लिया जाय, स्टाफ में ६० फीसदी फौरन कमी कर दी जाय। ये सब बचत की भी सूरतें हैं और चूंकि काम कम हो रहा है इसलिये काम को घटाने की भी तरकीबें हैं लेकिन सिर्फ इन दो तीन तरीकों से तो मसला हल नहीं होता।

अब तक यह था कि फिरोजपुर और अमृतसर कैम्प से लड़कियां सीधे लाहौर चली जाती थीं और अब इन दोनों कैम्पों को तोड़ने के बाद अगर कोई लड़की पंजाब के किसी हिस्से में रिकवर होती है तो उसे छोड़ने के लिये जालंधर जाना पड़ेगा और नतीजा यह होगा कि हफ्ते में बमुश्किल एक या दो से ज्यादा का निकास न हो सकेगा। तो इस तरह से काम में देरी और कमी होगी और लड़कियों और बच्चों को भी परेशानी उठानी पड़ेगी। इसी तरह काश्मीर में जम्मू के होम या कैम्प को बन्द करने का सवाल है। वहां तो और ज्यादा मुश्किल है। काश्मीर की लड़की को जालंधर में रखना रिश्तेदारों के लिये कितनी मुसीबत का बायस होगा, यह तो सोचिये। इसलिये बेहतर यही होगा कि कैम्प और होम्स उस वक्त तक बाकी रखे जाय जब तक कि एकट का निफाज है।

सरा सवाल स्टाफ का है। खर्च कम करने के तो दो तरीकें हो सकते हैं, एक यह कि बड़े तनखाहदारों को कम करके नीचे का स्टाफ बाकी रखा जाय, दूसरा यह कि नीचे से छटनी शुरू की जाय। बचत के लिये अगर आपने फोल्ड वर्कर्स को हटा दिया तो मुश्किल हो जायगी। फोल्ड वर्कर्स नहीं होंगे तो काम नहीं हो सकेगा। अगर ऊंची तनखाह वाले स्टाफ में कमी होती है तो शायद काम चल जाय लेकिन अगर फोल्ड वर्कर्स में, या जो कैम्पों के इंचार्ज हैं या जो सोशल वर्कर्स हैं जो कि घरों के अंदर जाते हैं, इस तरह के लोगों में कोई कमी की गई तो मेरे खयाल में काम में तेजी नहीं आयेगी और काम नहीं होगा।

तीसरा सवाल यह है कि स्पेशल पुलिस अलग कर दी जाय और डिस्ट्रिक्ट की पुलिस रिकवरी करे। इसके लिये पहले यह देखना पड़ेगा कि जहां स्पेशल पुलिस है वहां और जहां नहीं है वहां कैसे काम हुआ है और मेरा खयाल है कि आनरेबिल मिनिस्टर इस पर गौर करेंगे तो वह भी इससे मुत्तफिक होंगे कि जिन इलाकों में जरूरत है वहां स्पेशल पुलिस रखे बिना काम नहीं चल सकता है। कम से कम ६ माह तक जब तक कि एलेक्शन की धमाधमी खत्म न हो जाय तब तक डिस्ट्रिक्ट की पुलिस इसकी तरफ ध्यान भी न दे सकेगी, इसलिये कम से कम इतने दिन तक तो स्पेशल पुलिस जरूर ही रखनी है।

आखिर में मुझे अफसोस के साथ यह कहना पड़ता है कि रिकवरी और रिस्टोरेशन के बीच में जो जिम्मेदारियां हुकूमत पर आयब हुईं उसके अलावा रिस्टोरेशन के बाद में भी अक्सर आपटर केयर का सवाल पैदा हुआ है और पाकिस्तान से आने वाली लड़कियों का आपटर केयर बहुत कुछ हुआ भी है बल्कि बेहतरीन तरीके से हुआ है लेकिन वह लड़कियां जिनके रिश्तेदार हिन्दुस्तान में थे और जो यहीं उनको रिस्टोर की गई उनके आपटर केयर की कोई जिम्मेदारी हुकूमत ने नहीं ली। तो मेरी तजवीज यह है कि एक कमेटी पार्लियामेंट के मेम्बरो की बना दी जाय जो कि यह देखे कि क्या वजह है कि अब तक यह काम खत्म नहीं हो सका और क्या तरीका अख्तियार किया जाय जिससे अगले नवम्बर तक तमाम केसेज खत्म कर दिये जा सकें और प्राब्लम पूरे तरह से सल्व कर दी जा सके। सिर्फ यही देखना नहीं है कि कितना स्टाफ अलग किया जाय बल्कि यह

देखना है कि कितनी लड़कियां बाकी हैं, जो बरामद हो चुकी हैं वे कहाँ गई हैं और अगर अगवा करने वालों को वापस दी गई हैं तो वहाँ हैं या नहीं। उस समाज में उनका सोशल स्टेटस क्या है।

तो मेरा कहना है कि ट्राइब्युनल में सिर्फ पुलिस के अफसर न हों बल्कि सोशल वर्कर्स भी उसमें शामिल किये जायें। इस वक्त ट्राइब्युनल की सूरत यह है कि उसमें दोनों मुल्कों के हाई पावर्ड आफिसर्स होते हैं और उसमें एक लंडी भी है मगर किसी भी ऐसे सोशल वर्कर से उस ट्राइब्युनल का ताल्लुक नहीं है जो कि गवर्नमेंट के स्टाफ में नहीं हो। तो मेरा खयाल है कि अगर कोई सोशल वर्कर इस ट्राइब्युनल में शामिल कर लिया जाय तो फैसला करने में आसानी होगी। अक्सर केसेज पेंडिंग पड़े रहते हैं, छः छः महीने गुजर जाते हैं और लड़कियों के मुकदमों का फैसला नहीं होता है। तो काम में जो देरी होती है उसकी एक खास वजह यह है कि काम उसी तरीके से होता है जिस तरीके से कि गवर्नमेंट आफिसर में दूसरे काम होते हैं और उसमें कई कई महीने लग जाते हैं। यह तो एक इमर्जेंसी का काम था और इसको जल्दी से खत्म हो जाना चाहिये था। अगर हर महीने जल्दी से जल्दी फैसला हो जाता तो इस काम में इतनी देर नहीं लगती। रिकवरी होने के बाद लड़कियों को आठ-आठ महीने और दस-दस महीने सिर्फ फैसले के इंतजार में जालंधर के कैम्पों में रहना पड़ता है। यह ऐसी चीज है जिससे रिश्तेदार भी परेशान होते हैं, लड़कियां भी परेशान होती हैं और काम में भी देरी होती है।

तो मेरा कहना है कि इस काम के लिये जो कमेटी बनाई जाय वह यह भी देखे कि जो केसेज रजिस्टर हुए हैं और जिन केसेज को लड़कियों ने आकर रजिस्टर कराया है उनका क्या होगा और अब तक क्या हुआ है। तो सारे रिकार्ड को देखने के बाद ही यह अंदाजा हो सकेगा कि कितनी जल्दी से जल्दी इस मामले को खत्म किया जा सकता है। शुरू में तो यह काम ठीक से नहीं चला था मगर उसके बाद यह सूरत हुई कि काम काफी तेजी से हुआ और हम उम्मीद करते थे कि शायद यह जल्दी खत्म हो जायगा लेकिन दो साल से इतनी आहिस्तागी से लड़कियां रिकवर हुई और इतनी देरी में फैसले हुए कि उसका नतीजा यह हुआ कि उसमें देरी होती चली गई। जहाँ तक हुकूमत का सवाल है

हुकूमत ने पूरे तौर पर कोशिश की लेकिन हो सकता है कि जो आफिसर्स हैं और स्टाफ के लोग हैं उनमें कोई कमी हो या जो लोग केसेज करते हैं उनके फैसले करने में देरी लगती हो, कोई न कोई वजह जरूर है। तो मैं आनरेबिल मिनिस्टर से यही दरखास्त करूंगी कि इन तमाम चीजों को देखने के लिये वह अगर पार्लियामेंट की एक कमेटी बना दें तो बड़ी आसानी हो जायगी और कमेटी के लोग इन तमाम चीजों को देख कर कोई सही मशविरा दे सकेंगे। बस मुझे इतना ही कहना है।

SHRI KISHEN CHAND (Andhra Pradesh): Sir, once more we are considering this Bill for extending the life of this Department. I submit that the hon. Minister is carrying on very good work. In so far as women and children on both sides of the border who want to go back to their original countries are concerned, it is a good work. We will have to repeat the arguments that were advanced last year when we requested the hon. Minister that there should be a time-limit to everything. It is nearly nine years since that sad event happened—there was the partition of the country—and human beings lost all sense of proportion and committed such atrocious crimes against defenceless women and children that we have to hang down our heads in shame. But that is no reason why we should continue this Department and rake up the old wounds. Those old wounds should be allowed to heal slowly and gradually. Instead of doing that, once more the hon. Minister comes forward asking for a further extension of the maintenance of the Department after a period of nine years when those women have got reconciled themselves to their foster homes, when they have produced children and when they are very much afraid that, if they go back to their original countries, they may not be received and that their parents or husbands may not keep them. In such circumstances, is it right and fair to retain this Department? I cannot advance any arguments in favour of the continuance of this Department. All arguments are against its continuance. How is it right and fair? After such

[Shri Kishen Chand.] a period of time, you collect the women and children into certain camps. After that, a series of relatives come. Suppose, we are collecting Muslim women in our country who have been forcibly kept in India, who have married Indians and who have got children; now, if these women are taken to a camp, a whole series of visitors start coming in. They come from Pakistan. They are good people. They come and possibly, offer them glorious visions of how they will be received in their own country, how they are longing to receive them back in their country, etc. And these women undergo a tremendous emotional strain. On the one side, they have their new home—we can call it 'adopted home'—in India with their husbands and children; on the other side, all sorts of pressure is brought on them by these emissaries of Pakistan. I would like to know from the hon. Minister whether it is fair and justified to allow the women to undergo, over and above the abnormal hardships that they have suffered at the time of partition, this extra strain of being forced-out—or being 'persuaded' you may call it—after nine years in this country? But it is a sort of force employed by these representatives of Pakistan who are trying to take away these women.

Sir, last year also, the attention of the hon. Minister was drawn to the fact that by all estimates India had worked very well in the matter of recovering abducted persons. Nearly 80 to 85 per cent. of the Muslim women have been recovered and they have been returned to Pakistan. And out of the total number of Hindu women who were forcibly retained in Pakistan, barely 20 to 25 per cent. have come to India. And the present rate of recovery is almost insignificant. Under these circumstances I would like to know whether there is any justification in continuing the Department. I am sure the hon. Minister will say at the time of replying "Oh, we are doing this humanitarian work, etc." I would like to ask whether raking up the past and scratching the wounds which are slowly and gradual-

ly healing is any humanitarian work. On the contrary, we should try to close this Department as early as possible, because whatever work had to be done has been done in the last eight or nine years. There is no further need of continuing this Department at all. It is a sad memory of sad events, and we want to forget it as early as possible. Any further continuance of it is not going to help in fostering good relations between India and Pakistan. Therefore I submit, Sir, that the continuance of this Department is not in the best interests of peace and tranquillity between the two neighbouring countries, which were, only nine years back, parts of one big country of India. Therefore I request the hon. Minister to reconsider the matter and try to close this Department.

SARDAR SWARAN SINGH: Mr. Deputy Chairman, I am grateful to the hon. Members who have given considerable thought to this very complicated problem. The points that they have urged are points which have been before Government for a fairly long time. We have been doing our best to carry on this work in such a way as may not be open to any objection. But we have to bear in mind Sir, that the problem as such is of a very difficult nature and it is very difficult really to say whether any fool-proof method can be found out which may steer clear of these various objections.

There has been general support for the continuance of this measure from the Members who have participated in the debate. Even the last speaker, Mr. Kishen Chand, who has raised some very pertinent questions has not opposed the continuance of this measure, but he has expressed a desire that we should try to wind it up as soon as possible. I think he was not present here when I made some remarks while commending this motion to the House. I had said that it was the Government's intention to wind up this work as soon as possible, and we might be able to do it even

before the expiry of the present period of one year.

SHRI KISHEN CHAND: Thank you.

SARDAR SWARAN SINGH: It is also our intention thereafter that such of the unfortunate victims who might require assistance on our side would be dealt with as social cases, and some sort of method would be devised to give relief to those persons. But this elaborate procedure of recovery—detention in camps and the like—is intended to be stopped thereafter.

I want, however, to mention one aspect which is very relevant. Some mention has been made about the work that is being carried on in Pakistan. I am not going to compare the work which has been done in Pakistan with the work that we have done. I have given some facts and figures objectively, and it is for the hon. Members to deduce whatever conclusions they may from the facts and figures which I have given in this small pamphlet.

So far as the legislative measure is concerned, I want the hon. Members to remember that so far as Pakistan is concerned, the statute is a permanent statute, and it is not extended year after year, as we do it here. It may be that in the actual carrying out of the work, their organisation has not functioned in such a way as to come up to the expectations of the hon. Members of this House. But so far as the Act itself is concerned, whereas we have always treated it as an emergency measure, and very rightly, if I may add, on the other hand, so far as Pakistan is concerned, the Act itself is on a permanent basis. Therefore, so far as the continuance of the work for some time more is concerned, there is, I think, a very good case, particularly because the report of the fact-finding commission has not yet been put forward.

The hon. Member from the State of Jammu and Kashmir, Sardar Budh Singh for whom I have got very great regard, very rightly was indignant about the pace of recovery from

the part of the State of Jammu and Kashmir which is in the occupation of Pakistan. Some work has been done, although the work which has been done there is really not up to our expectations. Even now, the relatives of these unfortunate victims do continue to make petitions, to seek interviews, and to impress upon the organisation the desirability of recovering the stranded individuals in that part of the State of Jammu and Kashmir. Some work has been done, but I have no hesitation in saying that the work that has been done there is not to our satisfaction. In a case of this nature, all that we can do would be to impress upon those concerned the desirability of putting in the best effort and also to continue to do our bit, because that perhaps may be the biggest argument in support of our desire that others should do their duty.

We cannot expect to put pressure or cannot expect that results may flow from the other side if we do not do our duty. We have to do our duty because we think that it is good to do it. Incidentally it is also proper and expedient to do our duty because it helps to create an atmosphere where others may also think it proper to do their duty. While referring to the affairs of another country, I am afraid I could not really say more than what I have already done. We on our side have been trying to do this work from the humanitarian view-point of giving comforts to these unfortunate victims. The hon. Lady Member, Begum Kidwai, has given very great thought to this problem. I have the greatest respect for the feeling that she has about this cause and she herself had been very intimately associated with the functions of this organisation. She knows the functioning of the institution perhaps a little more than I do and she has made some suggestions but I am disinclined to agree with her when she says that the pace of work has been slackened during the last two years or so. There is a volume of opinion in the country, in this House as well as in the other House, that a certain toning up of the institution has taken place during the

[Sardar Swaran Singh.]

last two or three years and the distrust that generally people had about women being sent across against their wishes has greatly disappeared in the course of the last 2 or 3 years. It will also not be possible for me to accept her criticism that the non-official association in this organisation has in any way diminished recently. As a matter of fact, in regard to most of the work connected with the management of camps, or with the sorting out of clues, or with the handling of the relatives who come with clues and in the matter of creation of a proper atmosphere which is of very great importance before the wishes of the victims are ascertained, the non-official association has been very real and very vital and I want really to pay a tribute to those workers both officials and non-officials who have, against considerable criticism and sometimes facing this feeling of a retaliatory character, facing all these things, carried on this work which cannot by any means be said to be popular. It is common experience that human memories are likely to change and we are prone to forget the earlier atrocities and are likely to take a short-term view. It often happens that a wrong-doer after a lapse of time, earns a position under which people are likely to condone his wrongs and when any infliction of punishment or the like takes place, a compassion is aroused in the minds of many people. That is unfortunately the way in which minds of ordinary people would function but we have to take a proper view of affairs of this nature and we should really do our best to undo the hardships that unfortunately were caused to these people when the unfortunate incidents of 1947 took place. The continuance of an organization of this nature which removes people from surroundings into which they were hustled against their wishes, takes them to a neutral place where they can meet their relatives and thereafter in moments of calmness divorced from that fear complex they can express their wishes as to what should be done with regard to their future, is to my mind, a very humanitarian

and a proper way of dealing with the situation.

The hon. Lady Member, Begum Kidwai, wants me to do my best to wind up the work during the course of this year and she also wants that the staff and the like may be continued for a considerable time more. I think if our intention is to wind up the work at the end of the year, as surely it is Government's intention, we will have to take concrete steps towards the direction of reducing the size of our staff appreciably so that at the end of the year we arrive at a position where the work tails off and there are no problems which are left unattended to at the end of that year and I may assure the hon. Lady Member that any steps that are taken will be taken after mature consideration, so that the work does not suffer either at the stage of the custody of these recovered persons or with regard to their restoration or with regard to their recovery. These were the salient points that have been urged.

One other point was urged that a Committee consisting of Members of this honourable House may be set up who might go into this matter. Any advice that could be available from the hon. Members of this House is most welcome. It has always been welcome and actually I have taken good care to ascertain the wishes of the hon. Members from time to time. Some weeks ago I held an informal discussion with all those hon. Members who had participated in the discussion at the time of the last consideration of the Bill and there I found that there was a more or less consensus of opinion that the work may be continued for some time more so that the relief that it affords may continue to be available to the unfortunate persons for some time more. Any suggestion that the hon. Members—either the Lady Member or any other hon. Member—may have, would be most welcome and I would be greatly benefited by the association and advice which I might get from hon. Members but I have doubts as to whether a regular formal Committee to go into

all this work would yield any result. For one thing, the work has almost reached its last leg and it will be a little unfair that the hon. Members of Parliament should be burdened with this additional work of warding through very vast volumes of record and material but it will be really helpful and, if there are any suggestions that are to be offered in this connection, they would be of very great benefit to me personally and also for the successful implementation of the policy which has been laid down by Parliament.

With these words, I commend the motion for the acceptance of the House.

MR. DEPUTY CHAIRMAN:
The question is :

"That the Bill to continue the Abducted Persons (Recovery and Restoration) Act, 1949, for a further period, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN:
We shall now take up clause by clause consideration of the Bill.

Clause 2 was added to the Bill.

4 P. M.

Clause 1, the title and the Enacting Formula were added to the Bill.

SARDAR SWARAN SINGH: Sir, I move :

"That the Bill be passed."

SHRIMATI SAVITRI DEVI NIGAM (Uttar Pradesh): Sir, may I say a few words ?

MR. DEPUTY CHAIRMAN:
Motion moved :

"That the Bill be passed."

श्रीमती सावित्री निगम : उपसभापति महोदय, इस विधेयक का हार्दिक स्वागत करते हुये मुझे चन्द शब्द इस विषय में कहने हैं । पहली बात यह मेरी समझ में नहीं आती है कि

जब तक कि इस देश में या उस देश में सारी बहनें रिकवर न कर ली जायें तब तक हमारा यह निर्णय कर लेना कि अगले साल हम कैम्प को खत्म कर देंगे कहां तक उचित है । जब तक कि उन बेचारी बहनों का, जिनके बारे में इधर के परिवार वाले चिन्तित हैं, पूरी तरह से पता न लग जाय या जब तक कि हमें पूरी तरह से यह मालूम न हो जाय कि कौन बहन कहां है, किस हालत में है, तब तक इस विधेयक का समाप्त किया जाना या इसको केवल एक साल के लिये बढ़ाना मैं उचित नहीं समझती । मैंने पिछली बार भी कहा था और इस बार भी मैं यह कहना चाहती हूं कि मंत्री महोदय को चाहिये था कि इस विधेयक को कम से कम दो वर्ष के लिये या तीन वर्ष के लिये अवश्य ही एक साथ ले आते ताकि बार बार की यह दिक्कत कि इस विधेयक पर हम लोग विचार करें दूर हो जाती ।

श्रीमन्, आप यह जानते ही हैं कि जैसे ही हम इस विधेयक को समाप्त कर देंगे वैसे ही इन बहनों के पुनर्वास का काम समाप्त नहीं हो जायगा । आप जरा गौर करें कि जो बहनें इस देश में हैं जिन्होंने यही निश्चय किया है कि वहां वापस नहीं जायेंगी बल्कि उस व्यक्ति के साथ जिसने उसको एबडक्ट किया था रहना पसन्द करती हैं क्योंकि दूसरे देश में जीवन-यापन करने का कोई साधन उनके पास नहीं है उन बहनों के लिये क्या व्यवस्था है । ऐसी बहनों के पुनर्वास के लिये आपटर केयर इंटरनेशनल इंस्टीटयुशंस दोनों देशों में अवश्य ही बनने चाहिये तभी हम इन अभागी बहनों की पूरी-पूरी सुरक्षा और हिफाजत कर सकेंगे । एक तो मुझे यह सजेशन देना था ।

दूसरी बात यह है कि यदि हम सचमुच रिकवरी के काम को बहुत शीघ्र पूरा करना चाहते हैं और हम इस काम में स्पीड लाना चाहते हैं कि दोनों देशों के जितने भी ऐसे प्राणी हैं—चाहे वे बच्चे हों या स्त्रियां हों—जो कि रिकवर नहीं हुए हैं वे रिकवर हों तो हमारा यह कर्तव्य हो जाता है कि जो बहनें रिकवरी का काम कर रही हैं उनको एक ऊंचा स्टेटस दें ताकि उनको इस काम का कुछ श्रेय हो । अभी तो ऐसा होता है कि जो ट्राइब्युनल बनती हैं उनमें ऐसे लोग होते हैं जिनका कि इस काम में कोई श्रेय नहीं रहता है, जिनको डाइरेक्टली स्त्रियों या बच्चों से डील करना होता है वे उसमें अभी नहीं रहती हैं और उनके ऊपर पुलिस विभाग के अधिकारी बगैर रहते हैं । इसलिये जो ट्राइब्युनल बने

[श्रीमती सावित्री निगम]

उसमें ऐसे लोगों को काफी स्टेटस दिया जाय और उनको काफी ताकत दी जाय ताकि वे लोग इस काम में पुलिस आफिसर्स को ठीक तरह से गाइड कर सकें।

इसके अतिरिक्त मैं एक सजेशन यह देना चाहती हूँ कि दोनों देशों के सामाजिक कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन होना चाहिये क्योंकि आप देखें कि चन्द सरकारी अधिकारी इस काम को उतनी अच्छी तरह से नहीं कर सकते हैं जितनी अच्छी तरह से कि समाज सेवा करने वाली बहनें और भाई कर सकते हैं। इसलिये मैं कहूंगी कि दोनों देशों के ऐसे कार्यकर्ताओं का जो कि रिकवरी के काम से सम्बन्ध रखते हैं, सरकारी रूप से एक सम्मेलन बुलाया जाय तो यह काम बहुत आसानी से और शीघ्रता से हो सकेगा और इसमें इतना विलम्ब नहीं होगा जितना कि आज कल हो रहा है।

इसके अतिरिक्त चूंकि यह बहुत ह्यूमनेटेरियन काम है और बहुत सच्चाई और समझदारी से करने का काम है इसलिये मैं यह चाहूंगी कि ट्राइब्यूनल में अधिकांश स्त्रियां रखी जायें जो कि खास तौर से इसको स्कूटिनाइज करें और यह पता लगायें कि कितनी एप्लीकेशंस ऐसी हैं जिनके बारे में अभी पता लगाने की जरूरत है। इस काम को भी यदि बहनों की एक कमेटी बना कर उसके सुपुर्द कर दिया जाय तो यह ज्यादा अच्छी तरह से हो सकेगा।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का हार्दिक स्वागत करती हूँ।

SHRI H. P. SAKSENA (Uttar Pradesh): Mr. Deputy Chairman, the hon. Minister for Works, Housing and Supply who is also the sponsor of this Bill—The Abducted Persons (Recovery and Restoration) Continuance Bill, 1956—deserves our sympathy as well as our congratulations; sympathy because he is engaged in a very laudable and humanitarian work, and congratulations because of the success that his efforts have achieved up till now, during the last four or five years that those unfortunate events occurred. So far as the continuance of this work is concerned, there can be no two opinions. There is a section of opinion in this country which very strongly

holds that even if one woman on this side of the border or on the other has been left unrecovered, it would be wrong and it would be sinful on the part of that Government to give up the work and that is the view of one of the distinguished lady Members of this House and I am in perfect agreement with that view. An extension of one year is sought by this Bill and I am sure the House will readily grant it.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is already granted. We are on the third-reading stage.

SHRI H. P. SAKSENA: But it is not yet rightly granted unless the Bill passes the third-reading.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes.

SHRI H. P. SAKSENA: We all know that a considerable number of persons have been repatriated either way. But I may respectfully submit that putting women in the camps, whether it be in Pakistan or in Hindustan, in order to get their final decision whether they would like to be patriated to the respective countries or would stay behind in the country in which they are placed at present, is not being looked after impartially, at least in one of the countries. I know and I admit that on this side of the border, that is to say, in Hindusthan, all is being done in the most honest and in the most efficient manner. But this, Sir, I am sorry to say, cannot be said about the other side of the border. That is perhaps the reason why the hon. Minister remarked that allegations were made. The allegations were valid sometimes and sometimes they were not. But in carrying on this humanitarian work we should not give any cause for complaint or grievance to any person whatsoever, especially those who are concerned with the recovery of the abducted persons. Imagine the condition of the person who has been separated forcibly against his or her will or wish, from his or her relatives and friends and put thousands of miles away and not being able to exercise his other discretion in the freest possible manner. I

hope, Sir, some mechanism will soon be devised to get this work done on a social basis or on some other basis, because I am sure that even during the period of the next year for which this measure is being extended, this work shall not have come to an end. Therefore, some other method of recovering all those who have been abducted will have to be found out.

SARDAR SWARAN SINGH: I am grateful to the hon. Members who have extended their support to this measure. Both the hon. Lady Member—Shrimati Nigam—and Shri Sak-sena have supported this Bill. A suggestion has been made regarding the method of looking after these cases after recovery. This, Sir, is a social matter and it requires some consideration and if the hon. Lady Member could give some further thought to it and suggest as to what should be the after-care organisation, I am prepared to consider it because it is really our intention that something should be done to rehabilitate psychologically and otherwise these unfortunate victims and if any concrete suggestion can be made as to what should be the type of after-care organisation, I am prepared to consider it. It cannot take the form of a sort of permanent continuous Government organisation because, obviously, for a Government department to handle social work of this nature will not perhaps be a proper way. We have got the Social Welfare Board and other social organisations functioning in the country and with such assistance as may be expected of Government, it may be thought of as to what should be done to ensure that these unfortunate persons do continue to get Government support for their psychological and material rehabilitation.

I have nothing further to add, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN:
The question is :

“That the Bill be passed.”

The motion was adopted.

THE TERMINAL TAX ON RAILWAY PASSENGERS BILL, 1956

THE DEPUTY MINISTER FOR RAILWAYS AND TRANSPORT (SHRI O. V. ALAGESAN): Sir, I beg to move:

“That the Bill to provide for the levy of a terminal tax on passengers carried by railway from or to certain places of pilgrimage or where fairs, melas or exhibitions are held, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration.”

As hon. Members are probably aware, the terminal taxes on passengers carried by railways now in force are “pilgrim taxes” levied in respect of persons going to and returning from specified pilgrim centres and collected as part of the railway fare except only that terminal tax is collected in respect of Howrah which is not a pilgrim centre. These pilgrim taxes were leviable under the local enactments passed before 1-4-1937 on which date the Government of India Act, 1935, came into force. That Act made terminal taxes on passengers carried by railways a Central subject, but at the same time authorised the continuance of the levy of the existing terminal taxes on passengers carried by railway until provision to the contrary was made by the Central Legislature. Under the Constitution also, terminal taxes on passengers carried by railway are included in the Union List, but under the saving provision of article 277, the States or municipalities or local bodies are authorised to continue to levy the terminal taxes already existing. This meant that whenever there has been any need for the levy of a fresh terminal tax, on the basis of a representation from a local body on the ground of fresh or additional expenditure on health and sanitation measures required at a particular place for the large number of persons visiting a pilgrim or other centre in the jurisdiction of that local body, recourse had to be had to special separate legislation invoking also the Ordinance-making powers of the President in some cases. In some cases